केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

दिनांक: 13.09.2024

प्रेस प्रकाशनी

सीबीएसई ने राजस्थान और दिल्ली के 27 स्कूलों को उप-विधियों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किए

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने राजस्थान और एनसीटी दिल्ली में बोर्ड से संबद्ध 27 स्कूलों के औचक निरीक्षण के उपरांत इन पर कड़ी कार्रवाई की है। इन निरीक्षणों के दौरान बोर्ड की उप-विधियों संबंधी कई उल्लंघन पाए गए थे, विशेष रूप से इन स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति से संबंधित पद्धतियों/प्रक्रियाओं में अनियमितताएँ देखी गई थी।

इन निरीक्षणों में यह पाया गया कि कई स्कूलों ने कक्षा 11वी और 12वी में अधिक संख्या में छात्रों का नामांकन किया हुआ था, जो कक्षाओं में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। साथ ही, स्कूलों द्वारा रख-रखाव किए गए उपस्थिति रिकॉर्ड में भी विसंगतियाँ मिलीं, जिससे उनके द्वारा सीबीएसई नियमों के पालन पर संदेह उत्पन्न हुआ। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा कुछ संस्थानों में निर्धारित अवसंरचना संबंधी मानदंडों का उल्लंघन भी देखा गया, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।

इन अनियमितताओं की अनुक्रिया में, सीबीएसई ने दिल्ली के क्षेत्रों के 22 और अजमेर क्षेत्र के 5 स्कूलों (सूची संलग्न) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन नोटिसों में स्कूलों से उनकी नामांकन प्रक्रियाओं, बुनियादी ढांचे के मानकों और बोर्ड के अन्य मानदंडों के पालन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

सीबीएसई शिक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने सभी संस्थानों में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी करता रहेगा।

हस्ता/-

सचिव

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092
"Shiksha Kendra", 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110 092
फोन / Telephone : +91-11-22509256, 22509257 वेबसाइट/Website: www.cbse.nic.in